vinetur

भारत ने बल्क स्कॉच पर 162.5% कर लगाया, ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते का पहला विवाद गहराया

अधिकारियों के मुताबिक, स्कॉच कॉन्सन्ट्रेट पर 150% टैरिफ लागू होता है ; देरी से अटकी खेपें छुड़ाने के लिए आयातकों को बैंक गारंटी देनी पड़ रही है

बुधवार, 18 नवंबर 2026



मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले आठ सूत्रों और Reuters द्वारा देखे गए एक सरकारी दस्तावेज़ के अनुसार, भारत बल्क स्कॉच व्हिस्की के आयात पर प्रभावी रूप से 162.5% शुल्क और कर भार लगा रहा है। इससे शराब कंपनियों को झटका लगा है, जिन्हें उम्मीद थी कि 15 जुलाई से लागू हुए भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के तहत टैरिफ में भारी कमी आएगी।

यह नया कर भार व्यापार समझौते से पहले लागू 150% शुल्क से अधिक है और Reuters के अनुसार, इसने समझौते से जुड़ा पहला बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। समझौते के तहत स्कॉच पर टैरिफ घटाकर 75% कर दिया गया था। ब्रिटेन और बड़ी पेय कंपनियों ने इसे निर्यातकों के लिए और Pernod Ricard तथा Diageo जैसी कंपनियों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया था। ये कंपनियां स्कॉच को बल्क में भारत भेजती हैं और देश के बड़े बाजार वाले स्पिरिट्स कारोबार में बिक्री के

लिए स्थानीय स्तर पर उसका मिश्रण तैयार करती हैं।

विवाद के केंद्र में यह सवाल है कि भारतीय अधिकारी आयातित स्कॉच कॉन्सन्ट्रेट की कुछ किस्मों का वर्गीकरण किस तरह करते हैं। भारतीय जांचकर्ताओं का तर्क है कि इन उत्पादों को गलत सीमा-शुल्क श्रेणी के तहत आयात किया गया है और इन्हें इसके बजाय मई में बनाई गई "मिश्रित अल्कोहलिक तैयारियों" की सीमा-शुल्क श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इस श्रेणी पर 150% टैरिफ लगता है। सरकारी दस्तावेज़ और उद्योग अधिकारियों तथा सीमा-शुल्क एजेंटों सहित आठ सूत्रों के मुताबिक, स्थानीय उपभोग कर जुड़ने पर कुल कर 162.5% हो जाता है।

यह मतभेद असाधारण रूप से बड़े बाजार को प्रभावित कर रहा है। भारत का शराब बाजार करीब $65 billion का है और मात्रा के लिहाज से वह दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉच बाजार है। ब्रिटेन से भारत भेजे जाने वाले स्कॉच का मात्रा के आधार पर लगभग 80% हिस्सा बोतलों के बजाय बल्क में आता है। इसका बड़ा हिस्सा भारत में निर्मित विदेशी शराब (IMFL) व्हिस्की बनाने में इस्तेमाल होता है, जिसमें थोड़ी मात्रा में स्कॉच को अन्य स्पिरिट्स के साथ मिलाया जाता है। इससे ऐसे उत्पाद बनते हैं जो Chivas Regal या Johnnie Walker जैसे पूरी तरह आयातित ब्रांडों की तुलना में कहीं कम कीमत पर बिकते हैं।

इस वजह से यह विवाद व्यापार नीति से कहीं आगे तक महत्वपूर्ण है। बल्क स्कॉच भारत के व्हिस्की कारोबार के बड़े हिस्से के लिए एक अहम कच्चा माल है। बढ़ा हुआ कर एक प्रमुख विकासशील बाजार में आपूर्ति लागत बढ़ा सकता है, आयातकों और स्थानीय उत्पादकों की नकदी स्थिति पर दबाव डाल सकता है और खेपों में देरी जारी रहने पर उत्पादन योजना को जटिल बना सकता है।

11 नवंबर को Reuters ने खबर दी कि Pernod, Diageo और Bacardi के 80 से अधिक शिपिंग कंटेनरों में मौजूद हजारों लीटर बल्क स्कॉच विवाद लंबा खिंचने के कारण भारतीय बंदरगाहों पर रोककर रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक, जांच जारी रहने के दौरान खेपों को अस्थायी रूप से छुड़ाने की प्रक्रिया के तहत कंपनियों को पहले माल के मूल्य के बराबर 75% शुल्क देना होगा और शेष रकम के लिए बैंक गारंटी देनी होगी।

Reuters से तीन सूत्रों ने कहा कि अवरुद्ध कंटेनरों को छुड़ाने और कारोबार जारी रखने के लिए Pernod और Diageo ने बैंक गारंटी तथा अन्य वित्तपोषण की व्यवस्था शुरू कर दी है। Bacardi अभी अपने अगले कदमों पर विचार कर रही थी। Diageo ने टिप्पणी करने से इनकार किया, जबकि Pernod और Bacardi ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। भारत के वित्त मंत्रालय और कर प्राधिकरण ने भी जवाब नहीं दिया।

उद्योग अधिकारियों का कहना है कि वित्तीय दबाव तत्काल है। शराब आयात कारोबार से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि व्यापार समझौता लागू होने के बाद कंपनियों ने स्कॉच के कुछ उत्पादों के खुदरा दाम पहले ही घटा दिए थे और अब उन्हें उम्मीद से अधिक कर भार का सामना करना पड़ रहा है। भारत के एक अन्य उद्योग अधिकारी ने कहा कि कंपनियों के पास अस्थायी रूप से खेप छुड़ाने का अनुरोध करने के अलावा बहुत कम विकल्प हैं, क्योंकि उत्पादन जारी रखना बेहद जरूरी है—हालांकि बैंक गारंटी से कार्यशील पूंजी पर दबाव बढ़ता है।

छोटी कंपनियों पर दबाव अधिक हो सकता है। Reuters की खबर के मुताबिक, मुंबई शेयर बाजार में सूचीबद्ध Radico Khaitan, Allied Blenders and Distillers और Tilaknagar Industries भी बल्क स्कॉच आयात करती हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ जांच के दायरे में हैं। छोटे आयातकों के लिए गारंटी की व्यवस्था करना अधिक मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऋणदाता इसके बदले जमानत मांग सकते हैं। इन गारंटियों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में घोषित करना भी जरूरी है।

यह विवाद भारत की टैरिफ और सीमा-शुल्क व्यवस्था को लेकर विदेशी निवेशकों की व्यापक चिंता को और बढ़ाता है। Reuters ने बताया कि लंबे समय से चले आ रहे टैरिफ विवादों का असर पहले Volkswagen और Samsung समेत कंपनियों पर पड़ चुका है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि वे घरेलू कानून लागू कर रहे हैं, लेकिन उद्योग

अधिकारियों ने शिकायत की है कि आयात का वर्गीकरण किस तरह किया जाएगा, इस बारे में कंपनियां अक्सर अचानक लिए गए फैसलों से हैरान रह जाती हैं।

यह मुद्दा खास तौर पर संवेदनशील है, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार वार्ता में व्हिस्की पर टैरिफ सबसे कठिन मुद्दों में से एक था। 15 जुलाई को समझौता लागू होने से पहले दोनों पक्षों ने वर्षों तक बातचीत की। ब्रिटेन ने कहा था कि इस समझौते से व्हिस्की समेत "ब्रिटेन के प्रतिष्ठित उत्पादों" को लाभ होगा। Scotch Whisky Association ने कहा है कि इस समझौते से पांच वर्षों में भारत को स्कॉच का निर्यात $1.34 billion बढ़ सकता है।

ब्रिटेन बार-बार कहता रहा है कि वह इस मामले को सुलझाने के लिए नई दिल्ली के साथ काम कर रहा है, जबकि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि विवाद जल्द सुलझ जाएगा। लेकिन 11 नवंबर को Reuters द्वारा रिपोर्ट किए गए भारतीय जांचकर्ताओं के एक गोपनीय ज्ञापन में कहा गया कि व्यापार समझौते के तहत किसी भी गलत वर्गीकरण को रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे भारत सरकार के "राजस्व पर पर्याप्त असर" पड़ता है।

उद्योग सूत्रों ने Reuters को बताया कि उन्हें पहले से पता था कि सीमा-शुल्क वर्गीकरण पर बहस चल रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि टैरिफ के ऊपर अतिरिक्त स्थानीय कर भी लगाया जाएगा। इन दोनों के जुड़ने से टैरिफ घटाने के लिए किया गया व्यापार समझौता ऐसे क्षेत्र के लिए अनिश्चितता का नया स्रोत बन गया है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्हिस्की बाजारों में से एक को आपूर्ति देने के लिए बल्क आयात के लगातार बने रहने पर निर्भर है।